भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1333

09 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

वित्त तक आसान पहुंच

1333. श्री खगेन मुर्मु:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि उचित ब्याज दर पर वित्त की आसान पहुंच और अनुकूल अनुपालन आवश्यकताओं से इस्पात उद्योग को लाभ होगा;

(ख) यदि हां, तो अन्य इस्पात अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में संभारतंत्र, ईंधन, बिजली और वित्तपोषण की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस्पात निर्यात के लिए निर्यात किए गए उत्पादों (आरओडीटीईपी) पर शुल्क और करों में छूट की शुरुआत कर रही है जो अन्य देशों के मजबूत प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध एक समान अवसर पैदा करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशों के अनुसार ऋण संबंधी मामलों को सामान्यतया विनियमित कर दिया गया है। आरबीआई ने बैंकों को उनके ऋण संबंधी संव्यवहार के लिए समुचित बोर्ड - अनुमोदित नीतियों को लागू करने का परामर्श दिया है। विनियमित इकाइयों द्वारा अग्रिमों पर वसूले जाने वाली ब्याज की दर अनेक कारकों यथा निधियों की लागत, प्रचालन की लागत, ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण प्राप्त करने की साख, ऋण पोर्टफोलियो के जोखिम, जमानत की उपलब्धता और प्रकार/ गुणवत्ता, ऋण प्रदाता की व्यावसायिक रणनीति, बाजार प्रतिस्पर्धा, लाभ की आशा आदि पर निर्भर करती है। हालांकि इस्पात क्षेत्र सहित उद्योग के लिए वित्तपोषण तक आसान पहुंच हेतु कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को वर्ष 2019 के शुरुआत में 6.5% से घटाकर अगस्त 2020 में 4% कर दिया है जिसने वित्त पोषण की लागत को कम करने में सहायता प्रदान की है।

ख) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के माध्यम से अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान की है। इस्पात कंपनियों सहित इन दबाव वाली कंपनियों के पुनर्गठन से बेहतर ऋण वसूली एवं एनपीए में बेकार पड़ी हुई राशि का मुक्त किया जाना संभव हुआ है।

ग) एमएसएमई सहित व्यापार के लिए जमानत - मुक्त (कोलेटेरल-फ्री) स्वचालित ऋण।

(ग) और (घ): वर्तमान में लौह एवं इस्पात क्षेत्र (अध्याय 72 एवं 73) को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, जो इस समय बजटीय सीमाओं के कारण आरओडीटीईपी से बाहर हैं।

****